

SAMPLE QUESTIONS FOR COMMERCIAL LAW SEM -1 (As per NEP 2020)

Group A: IRC 2 (Commerce)

Full Marks: 75

Time: 3 hrs

Answer the questions as per instruction given. The figures in the right hand side indicate marks. Candidates are required to give answer in their own words as far as practicable.

दिए गए निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। दाहिने हाथ की ओर के अंक अंकों को दर्शाते हैं। जहां तक संभव हो, उम्मीदवारों को अपने शब्दों में उत्तर देना होगा।

GROUP – A

(Short Answer Type Question लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Answer all the following questions निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए)

1. Answer the following questions in few words or maximum in one sentences. (5*1=5)
- a. The person making the proposal is called the and the person accepting the proposal is called..... प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है..... और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है

Ans. Promisor/Promisee

- b. Who is unpaid Seller? अवैतनिक विक्रेता कौन है?

Ans. A person who has sold goods to another person but has not been paid for the goods or been paid partially is called an unpaid seller .

एक व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति को माल बेचा है लेकिन माल के लिए भुगतान नहीं किया गया है या आंशिक भुगतान किया गया है, उसे अवैतनिक विक्रेता कहा जाता है

- c. ?meant by Consent What isसहमति से क्या तात्पर्य है?

Ans. Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense.

दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सहमति तब कहा जाता है जब वे एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं

- d. Name the various types of agent. एजेंट के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए।

Ans. General agent, Special agent and Mercantile agent.

सामान्य एजेंट, विशेष एजेंट और व्यापारिक एजेंट।

- e. What is the partnership written agreement known as..... .

साझेदारी के लिखित समझौते को क्या कहा जाता है ?

Ans.Partnership Deed

पार्टनरशिप डीड

2. What is the difference between an offer and an invitation to offer? प्रस्ताव और प्रस्ताव के आमंत्रण में क्या अंतर है?

Ans. The major differences between an offer and an invitation to offer are as follows –

एक प्रस्ताव और एक प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के बीच प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं:

Offer	Invitation to offer
It is an expression of interest by a person to another person to do something or not for an approval. यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए अनुमोदन के लिए कुछ करने या न करने की रुचि की अभिव्यक्ति है।	It is an expression of interest by one person to another and to invite the other person to an offer. यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति को एक प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करना है।
It is stated in section 2 (a) of Indian Contract Act, 1872. यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (ए) में कहा गया है।	not defined in Indian Contract Act, 1872. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में परिभाषित नहीं है।
enters into a contract. एक अनुबंध में प्रवेश करता है।	After negotiations, a contract is created. बातचीत के बाद, एक अनुबंध बनाया जाता है
essential to make an agreement. समझौता करने के लिए अनिवार्य है।	not essential to make an agreement. समझौता करना अनिवार्य नहीं है।
If offer is accepted, then it becomes an agreement. यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक समझौता बन जाता है।	If party/person responds to an invitation, then it becomes an offer. यदि पार्टी/व्यक्ति आमंत्रण का जवाब देता है, तो यह एक प्रस्ताव बन जाता है।

3. Define bailment and state the kinds of bailment. निक्षेप को परिभाषित कीजिए तथा निक्षेप के प्रकार बताइए।

Ans. The term bailment refers to a legal relationship between two parties in common law, where assets or property are transferred from a bailor to a bailee. In this relationship, the bailor transfers physical possession of a piece of personal property to the bailee for a certain period of time but retains ownership.

Kinds of Bailment

There are five Kinds of Bailment are as under

1) Gratuitous Bailment

A Bailment made without any Consideration for the benefit of the bailor or for the benefit of the bailee is called Gratuitous Bailment. In simple words A bailment with no consideration is Gratuitous bailment.

2) Non-Gratuitous Bailment:

Non Gratuitous is a bailment for reward. It is for the benefit of both the bailor and bailee.

3) Bailment for the Benefit of the Bailor

In this case the bailor delivers his goods to a bailee for a safe custody without any benefit/reward. It is called " the bailment for the benefit of the bailor".

4) Bailment for the exclusive Benefit of the Bailee

In this case Bailor delivers his goods to a bailee without any benefit for his use , it is called "the bailment for the exclusive benefit of the bailee"

5) Bailment for the Benefit of the Bailor and Bailee

In this case goods are delivered for consideration, both the bailor and bailee get benefit and hence it is called the bailment for the benefit of the bailor and bailee.

जमानत शब्द सामान्य कानून में दो पक्षों के बीच एक कानूनी संबंध को संदर्भित करता है, जहां संपत्ति या संपत्ति एक जमानतदार से एक जमानतदार को हस्तांतरित की जाती है। इस संबंध में, निक्षेपक एक निश्चित अवधि के लिए निक्षेपिती को निजी संपत्ति के एक टुकड़े का भौतिक कब्जा हस्तांतरित करता है, लेकिन स्वामित्व बरकरार रखता है।

जमानत के प्रकार

बेलमेंट पांच प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं

1) निःशुल्क जमानत

निक्षेपक के लाभ के लिए या निक्षेपिती के लाभ के लिए बिना किसी विचार के किए गए निक्षेप को निक्षेप निक्षेप कहा जाता है। सरल शब्दों में बिना प्रतिफल वाली जमानत निःशुल्क जमानत है।

2) गैर-अनुदान जमानत:

गैर कृतज्ञ इनाम के लिए जमानत है। यह जमानतदार और जमानतदार दोनों के लाभ के लिए है।

3) जमानतदार के लाभ के लिए जमानत

इस मामले में निक्षेपक बिना किसी लाभ/पुरस्कार के अपने माल को निक्षेपिती को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर देता है। इसे "जमानतकर्ता के लाभ के लिए निक्षेप" कहा जाता है।

4) अमानतदार के अनन्य लाभ के लिए निक्षेप

इस मामले में उपनिहिती अपने उपयोग के लिए बिना किसी लाभ के अपने माल को निक्षेपिती को सौंपता है, इसे "उपनिहिती के अनन्य लाभ के लिए निक्षेप" कहा जाता है।

5) जमानतदार और उपनिहिती के लाभ के लिए जमानत

इस मामले में माल विचार के लिए वितरित किया जाता है, निक्षेपक और उपनिहिती दोनों को लाभ मिलता है और इसलिए इसे निक्षेपक और उपनिहिती के लाभ के लिए निक्षेप कहा जाता है।

Group- B

Long/ Descriptive answer type questions. दीर्घ/वर्णनात्मक उत्तर प्रकार के प्रश्न

Answer any four of the following questions. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए

4. "All contracts are agreements but all agreements are not contracts". Discuss the statement as per Indian Contract Act 1872. "सभी अनुबंध अनुबंध हैं लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं हैं"। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार कथन पर चर्चा करें।

Ans. A contract is a legally enforceable agreement between two or more parties that creates, defines, and governs mutual rights and obligations between them. A contract typically involves the transfer of goods, services, money, or a promise to transfer any of those at a future date. There must be an offer and acceptance for a contract to be formed. An offer must be backed by an acceptance of which there must be a consideration.

Definition of a Contract

According to Indian Contract Act 1872, Sec 2(h)---

"An agreement enforceable by Law is a contract. Therefore, there must be an agreement and it should be enforceable by law".

From the above definition, we found two essential elements of contract:

1. An agreement
2. Legal Obligations i.e. a duty enforceable by law.

An Agreement

According to Indian Contract Act 1872, Sec 2(e)---

"Every promise and every set of promises, forming the consideration for each other, is an agreement".

This means that when there is an offer or proposal from one party that gets accepted then it becomes a promise and a promise from the two parties to one another is known as an agreement. For example, A promises to deliver his book to B, and in return, B promises to pay 1,000 to A. There is said to be an agreement between A and B.

"All contracts are agreement"

We know that when an agreement enforceable by law is a contract. A contract is an agreement that is enforceable by law. It is an agreement or set of promises giving rise to obligations that can be enforced or are recognized by law. In order to become an agreement into a contract, it has to satisfy all the essentials of a valid contract as mentioned in section 10 of the Indian Contract Act 1872.

Section 10 of this act says, "All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void".

The essentials of a valid contract:

1. There must be two parties.
2. The agreement should be between the parties who are competent to contract.
3. There should be a lawful consideration.
4. The object of the agreement must be lawful.
5. There should be free consent between the parties.
6. The agreement must not be one that has been expressly declared to be void.

"All agreements are not contracts"

An agreement is a set of promises. Section 2(e) of The Indian Contract Act 1872 says, "Every promise and every set of promises, forming the consideration for each other, is an agreement". In an agreement, there is a promise between both parties. For example, A promises to deliver his book to B, and in return of B promises to pay Rs. 1,000 to A. there is said to be an agreement between A and B. After acceptance of the offer/proposal it becomes a promise, promise is the result of offer acceptance.

Thus, when there is a proposal/offer from the proposer and the acceptance of that proposal by the proposee it results in a promise. Promise and reciprocal promise from promisor and promisee form an agreement.

Hence, we can conclude only commercial agreements where parties are intending to shoulder responsibility upon each other and when they are entering into an agreement keeping in mind that in case of breach of agreement terms by one of the parties, the aggrieved party may go to court against the party who breaches the terms and compel him by the process of law to pay compensation as decided.

एक अनुबंध दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता है जो उनके बीच आपसी अधिकारों और दायित्वों को बनाता, परिभाषित और नियंत्रित करता है। एक अनुबंध में आम तौर पर माल, सेवाओं, धन का हस्तांतरण या भविष्य की तारीख में उनमें से किसी को स्थानांतरित करने का वादा शामिल होता है। एक अनुबंध के गठन के लिए एक प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए। एक प्रस्ताव को एक स्वीकृति द्वारा समर्थित होना चाहिए जिसमें एक विचार होना चाहिए।

एक अनुबंध की परिभाषा

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार, धारा 2(एच)----

"कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता एक अनुबंध है। इसलिए, एक समझौता होना चाहिए और इसे कानून द्वारा लागू किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त परिभाषा से, हमें अनुबंध के दो आवश्यक तत्व मिले:

1. एक समझौता
2. कानूनी बाध्यताएं अर्थात् कानून द्वारा प्रवर्तनीय कर्तव्य।

एक समझौता

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, धारा 2 (ई) के अनुसार ----

"हर वादा और वादों का हर सेट, एक दूसरे के लिए विचार बनाने, एक समझौता है"।

इसका मतलब यह है कि जब एक पक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव या प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो वह एक वादा बन जाता है और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे से किया गया वादा एक समझौते के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, A अपनी पुस्तक B को देने का वादा करता है, और बदले में B, A को 1,000 देने का वादा करता है। A और B के बीच एक समझौता कहा जाता है।

"सभी अनुबंध समझौते हैं"

हम जानते हैं कि जब कानून द्वारा लागू किया जा सकने वाला समझौता अनुबंध होता है। एक अनुबंध एक समझौता है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है। यह एक समझौता या वादों का समूह है जो दायित्वों को जन्म देता है जिसे लागू किया जा सकता है या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक अनुबंध में एक समझौता बनने के लिए, उसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 में उल्लिखित एक वैध अनुबंध की सभी अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा।

इस अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है, "सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं"।

एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताएँ:

1. दो पक्ष होने चाहिए।
2. समझौता उन पक्षों के बीच होना चाहिए जो अनुबंध करने के लिए सक्षम हैं।
3. एक वैध विचार होना चाहिए।
4. समझौते का उद्देश्य वैध होना चाहिए।
5. पार्टियों के बीच स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए।
6. करार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किया गया हो।

"सभी समझौते अनुबंध नहीं हैं"

एक समझौता वादों का एक समूह है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 (ई) कहती है, "हर वादा और वादों का हर सेट, एक दूसरे के लिए विचार करना, एक समझौता है"। एक समझौते में, दोनों पक्षों के बीच एक वादा है। उदाहरण के लिए, A अपनी पुस्तक B को देने का वचन देता है, और B इसके बदले में रु. 1,000 से ए तक। ए और बी के बीच एक समझौता कहा जाता है। प्रस्ताव / प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद यह एक वादा बन जाता है, वादा प्रस्ताव स्वीकृति का परिणाम है।

इस प्रकार, जब प्रस्तावक की ओर से कोई प्रस्ताव/प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका परिणाम एक वचन होता है। प्रतिज्ञाकर्ता और वचनग्रहीता से वचन और पारस्परिक वचन एक समझौता बनाते हैं।

इसलिए, हम केवल वाणिज्यिक समझौतों को समाप्त कर सकते हैं जहां पार्टियां एक-दूसरे पर जिम्मेदारी लेने का इरादा रखती हैं और जब वे एक समझौते में प्रवेश कर रहे हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि किसी एक पक्ष द्वारा समझौते की शर्तों के उल्लंघन के मामले में, पीड़ित पक्ष अदालत जा सकता है उस पार्टी के खिलाफ जो शर्तों का उल्लंघन करती है और कानून की प्रक्रिया द्वारा तय किए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उसे मजबूर करती है।

Or

Discuss in brief the various modes of Discharge of a Contract.

15

Ans. The term discharge of contract means ending of the contractual relationship between the parties. A contract is said to have been discharged when it ceases to operate i.e. when the rights and obligations created by the parties came to an end. A contract can be discharged if the parties mutually agree to terminate the contract. Also there are different methods through which contracts can be discharged.

Modes of Discharge of a Contract

A contract is said to be discharged using the following modes:

- Discharge by Performance
- Discharge by Agreement or Consent
- Discharge by Impossibility of Performance
- Discharge by Lapse of Time
- Discharge by Operation of Law
- Discharge by Breach of Contract

Discharge by Performance

Performing means doing all those things which are required by a contract. Discharge of performance occurs when the parties to the contract fulfill their obligations set out under the contract within the specified time and in the manner prescribed. In such a case, parties are discharged and contracts come to an end. But if only one of the party performs, he alone is discharged. Such a party gets the right of action against the other party who is guilty. Discharge of Performance may be:

- Actual Performance

- Attempted Performance

Actual Performance

When both the parties perform their performance, then the contract is said to be discharged. Performance should be complete and precise according to the terms of the agreement. Majority of the contracts are discharged by performance in this manner.

Attempted Performance

Attempted performance is only an offer to perform the obligation under the contract. When the promisor agrees to perform the contract but the promisee refuses to accept the performance, then in such case, it is termed as discharge of contract by attempted performance or tender.

Discharge by Agreement or Consent

Novation

The term novation means the substitution of the new contract by the original one. The new agreement may be with the same parties or with the new parties. For a contract to be valid and effective, the consent of all the parties including the new one if any is necessary. Moreover, the second party must be capable of enforcement of law, the consideration for which is the exchange of promise not to carry out the original contract.

Alteration

This refers to change in one or more terms of a contract with the consent of all the parties entered in the contract. Alteration leads to formation of new contracts but the parties to it remain the same.

Remission

This means the acceptance by the promisee of a lesser sum than what was mentioned in the contract, or a lesser fulfilment of the promise made. According to the section 63, every promise may:

- a. May remit or give up with it
- b. Extend the performance time
- c. Accept any other satisfaction rather than performance

Recession

The term recession refers to cancellation of all or some of the material terms of the contract. If the parties entered into the contract, mutually agreed to do so, then in such case the respective contractual agreement of the parties gets terminated.

Waiver

The term waiver means abandonment of rights. When one party deliberately abandons his right under the contract, the other party is released of his obligations, else binding upon it.

Discharge by Impossibility of Performance

If it is impossible for any of the parties entered in the contract to perform their obligations, then the impossibility of performance of contract leads to discharge of contract. If the impossibility of performing the contract exists from the start, then it is termed as impossibility by ab-initio. However, impossibility of performing the contract may also arise later due to:

- An unforeseen change in the law
- Destruction of subject-matter of the contract
- Non-existence or Non-occurrence of a particular state of things.
- Outbreak of War

Discharge of Contract by a Lapse of a Time

According to The Limitation Act, 1963, there is a specific time period for the performance of a contract. If the promisor failed to perform his duties and the promisee failed to take action within this specified period, then the promisee in such a case cannot be deprived of his remedy through law. Here, the contract is said to be discharged due to the lapse of time. For example: John takes a loan from one of his friends and agrees to pay him installments every month for the next five years. However, he does not pay even a single installment. His friend calls him several times but then gets busy and takes no action. After three years, he approaches the court to help him recover his money. However, the court rejects his complaint because he has crossed the time-limit of three years to recover his debts.

Discharge of Contract By Operation of Law

A contract can be discharged by the operation of law in the following circumstance:

- Unauthorized Material Alteration of Written Document: A party can discharge the contract i.e from his side if the other party changes the terms such as price or quantity of contract without taking any permission from the former.
- By Insolvency

- By Death

Discharge by Breach of Contract

A contract is obliged to perform according to its terms. But when a promisor fails to perform a contract according to the terms of the contract, then he is said to have committed a breach of contract. The breach of contract is of two types

- Actual Breach
- Anticipated Breach

Actual Breach: Actual breach of contract refers to failure to perform the obligation when the performance is due. For example, if a seller fails to deliver the goods by the appointed time, or the goods are delivered but not upto the mark in terms of quality or quantity specified in the contract.

Anticipatory Breach: Anticipatory Breach, also known as Breach by Contradiction, takes place when one party before the arrival of the fixed date for performance states that it cannot or will not be able to perform material part of the contractual obligation on the specified date or it aims to perform the contract in a way that is inconsistent with the deeds specified in the contract at the initiation.

अनुबंध के निर्वहन का अर्थ पार्टियों के बीच संविदात्मक संबंध को समाप्त करना है। कहा जाता है कि एक अनुबंध का निर्वहन तब किया जाता है जब यह काम करना बंद कर देता है यानी जब पार्टियों द्वारा बनाए गए अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। यदि पार्टियां परस्पर अनुबंध को समाप्त करने के लिए सहमत हों तो अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से अनुबंधों का निर्वहन किया जा सकता है।

एक अनुबंध के निर्वहन के तरीके

कहा जाता है कि एक अनुबंध को निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके समाप्त किया जाता है:

- प्रदर्शन द्वारा निर्वहन
- समझौते या सहमति से मुक्ति
- प्रदर्शन की असंभवता से निर्वहन
- समय व्यतीत होने पर डिस्चार्ज
- कानून के संचालन द्वारा निर्वहन
- अनुबंध के उल्लंघन द्वारा छुट्टी

प्रदर्शन द्वारा निर्वहन

प्रदर्शन करने का मतलब उन सभी चीजों को करना है जो एक अनुबंध द्वारा आवश्यक हैं। प्रदर्शन का निर्वहन तब होता है जब अनुबंध के पक्ष निर्दिष्ट समय के भीतर और निर्धारित तरीके से अनुबंध के तहत निर्धारित अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। ऐसे मामले में, पार्टियों को छुट्टी दे दी जाती है और अनुबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर पार्टी में से केवल एक ही

प्रदर्शन करता है, तो उसे अकेले छुट्टी दे दी जाती है। ऐसे पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है जो दोषी होता है। प्रदर्शन का निर्वहन हो सकता है:

- वास्तविक प्रदर्शन
- प्रयास प्रदर्शन

वास्तविक प्रदर्शन

जब दोनों पक्ष अपना-अपना निष्पादन कर देते हैं, तब अनुबन्ध समाप्त कहा जाता है। प्रदर्शन समझौते की शर्तों के अनुसार पूर्ण और सटीक होना चाहिए। अधिकांश ठेके इस तरह से प्रदर्शन के द्वारा समाप्त हो जाते हैं।

प्रदर्शन का प्रयास किया

प्रयास किया गया प्रदर्शन केवल अनुबंध के तहत दायित्व निभाने का प्रस्ताव है। जब वचनदाता अनुबंध को निष्पादित करने के लिए सहमत होता है, लेकिन वादाकर्ता प्रदर्शन को स्वीकार करने से इनकार करता है, तो ऐसे मामले में, इसे प्रदर्शन या निविदा के प्रयास द्वारा अनुबंध का निर्वहन कहा जाता है।

समझौते या सहमति से निर्वहन

नवीनता

नोवेशन शब्द का अर्थ है मूल अनुबंध द्वारा नए अनुबंध का प्रतिस्थापन। नया समझौता उन्हीं पार्टियों के साथ या नए पार्टियों के साथ हो सकता है। एक अनुबंध के वैध और प्रभावी होने के लिए, यदि आवश्यक हो तो नए सहित सभी पक्षों की सहमति आवश्यक है। इसके अलावा, दूसरे पक्ष को कानून लागू करने में सक्षम होना चाहिए, जिसके लिए विचार मूल अनुबंध को पूरा न करने के वादे का आदान-प्रदान है।

परिवर्तन

यह अनुबंध में दर्ज सभी पक्षों की सहमति से अनुबंध की एक या अधिक शर्तों में परिवर्तन को संदर्भित करता है। परिवर्तन से नए अनुबंध बनते हैं लेकिन इसके पक्षकार वही रहते हैं।

क्षमा

इसका अर्थ है वचनग्रीता द्वारा अनुबंध में उल्लिखित राशि से कम राशि की स्वीकृति, या किए गए वादे की कम पूर्ति। धारा 63 के अनुसार, हर वादा हो सकता है:

एक। इसे छोड़ दें या छोड़ दें

बी। प्रदर्शन का समय बढ़ाएँ

सी। प्रदर्शन के बजाय किसी अन्य संतुष्टि को स्वीकार करें

मंदा

मंदी शब्द का अर्थ अनुबंध की सभी या कुछ भौतिक शर्तों को रद्द करना है। यदि पार्टियों ने अनुबंध में प्रवेश किया है, ऐसा करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हैं, तो ऐसे मामले में पार्टियों के संबंधित संविदात्मक समझौते को समाप्त कर दिया जाता है।

त्याग

अधित्याग शब्द का अर्थ अधिकारों का परित्याग है। जब एक पक्ष जानबूझकर अनुबंध के तहत अपने अधिकार का परित्याग करता है, तो दूसरा पक्ष अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा यह उस पर बाध्यकारी होता है।

प्रदर्शन की असंभवता द्वारा निर्वहन

यदि अनुबंध में शामिल किसी भी पक्ष के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव है, तो अनुबंध के प्रदर्शन की असंभवता अनुबंध के निर्वहन की ओर ले जाती है। यदि अनुबंध को पूरा करने की असंभवता शुरू से ही मौजूद है, तो इसे शुरू से ही असंभवता कहा जाता है। हालाँकि, अनुबंध के निष्पादन की असंभवता बाद में भी उत्पन्न हो सकती है:

- कानून में एक अप्रत्याशित परिवर्तन
- अनुबंध की विषय-वस्तु का विनाश
- किसी विशेष स्थिति का न होना या न होना।
- युद्ध का प्रकोप

एक समय की कमी से अनुबंध का निर्वहन

सीमा अधिनियम, 1963 के अनुसार, अनुबंध के निष्पादन के लिए एक विशिष्ट समय अवधि होती है। यदि वचनदाता अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है और वचनग्रहीता इस निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो ऐसे मामले में वचनग्रहीता को कानून के माध्यम से उसके उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यहाँ, अनुबंध को समय समाप्त होने के कारण समाप्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए: जॉन अपने एक दोस्त से कर्ज लेता है और अगले पांच साल तक उसे हर महीने किस्तें देने के लिए राजी हो जाता है। हालाँकि, वह एक किश्त भी नहीं चुकाते हैं। उसका दोस्त उसे कई बार फोन करता है लेकिन फिर व्यस्त हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं करता। तीन साल बाद, वह अपने पैसे की वसूली में मदद करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। हालाँकि, अदालत ने उसकी शिकायत को खारिज कर दिया क्योंकि उसने अपने कर्ज की वसूली के लिए तीन साल की समय-सीमा पार कर ली है।

कानून के संचालन द्वारा अनुबंध का निर्वहन

निम्नलिखित परिस्थितियों में कानून के संचालन द्वारा एक अनुबंध का निर्वहन किया जा सकता है:

- लिखित दस्तावेज़ में अनधिकृत सामग्री परिवर्तन: एक पक्ष अनुबंध का निर्वहन कर सकता है अर्थात् उसकी ओर से यदि दूसरा पक्ष पूर्व की अनुमति के बिना अनुबंध की कीमत या मात्रा जैसी शर्तों में परिवर्तन करता है।
- दिवालियापन द्वारा
- मौत से

अनुबंध के उल्लंघन द्वारा निर्वहन

एक अनुबंध अपनी शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। लेकिन जब कोई वचनदाता अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध करने में विफल रहता है, तो यह कहा जाता है कि उसने अनुबंध का उल्लंघन किया है। संविदा भंग दो प्रकार का होता है

- वास्तविक उल्लंघन
- प्रत्याशित उल्लंघन

वास्तविक उल्लंघन: अनुबंध का वास्तविक उल्लंघन, प्रदर्शन देय होने पर दायित्व को पूरा करने में विफलता को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विक्रेता नियत समय तक माल वितरित करने में विफल रहता है, या माल वितरित किया जाता है, लेकिन अनुबंध में निर्दिष्ट गुणवत्ता या मात्रा के अनुसार नहीं।

प्रत्याशित उल्लंघन: प्रत्याशित उल्लंघन, जिसे विरोधाभासी उल्लंघन के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब प्रदर्शन के लिए निश्चित तिथि के आगमन से पहले एक पक्ष बताता है कि वह निर्दिष्ट तिथि पर संविदात्मक दायित्व का भौतिक हिस्सा नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा या इसका लक्ष्य है अनुबंध को ऐसे तरीके से निष्पादित करने के लिए जो अनुबंध में दीक्षा में निर्दिष्ट कार्यों के साथ असंगत है।

5. What is a Continuing Guarantee? When and how it is revoked 7+8 =15

Ans.. According to Sec. 129- A guarantee which extends to a series of transactions, is called a "continuing guarantee". Example : A guarantees payment to B, a tea-dealer, to the amount of Rs. 100, for any tea he may from time to time supply to C. B supplies C with tea to above the value of Rs. 100, and C pays B for it. Afterwards, B supplies C with tea to the value of Rs. 200. C fails to pay. The guarantee given by A was a continuing guarantee, and he is accordingly liable to B to the extent of Rs. 100.

Some points are notably regarding continuing guarantee-

- (i) After discharge of single promise or repayment of single debt continuing guarantee does not come to an end.
- (ii) Liability regarding time or amount can be limited by surety.
- (iii) Under this guarantee surety is liable for unpaid balance at the end of the guarantee.
- (iv) Such Guarantee may be prospective or retrospective
- (v) Prospective guarantee is given for a future debt where as retrospective guarantee is given for an existing debt.

Revocation of continuing guarantee

A continuing guarantee may be revoked by the any one of the following mode:

(1)By notice: [Sec.130]:- provides that a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety, as to future transactions, by notice to the creditor. Thus, This guarantee may be revoked-

- (i) by the surety at any time;
- (ii) by giving notice

(iii) notice can be given by surety to creditor

(iv) for future transactions only.

Examples: (a) A, in consideration of B's discounting, at A's request, bills of exchange for, C, guarantees to B, for twelve months, the due payment of all such bills to the extent of 5,000 rupees. B discounts bills for C to the extent of 2,000 rupees. Afterwards, at the end of three months, A revokes the guarantee. This revocation discharges A from all liability to B for any subsequent discount But A is liable to B for the 2,000 rupees, on default of C.

(b) A guarantees to B, to the extent of 10,000 rupees, that C shall pay all the bills that B shall draw upon him. B draws upon C. C accepts the bill. A gives notice of revocation. C dishonours the bill at maturity. A is liable upon his guarantee.

2. By Death [Sec.131]- According to S. 131 The death of the surety operates, in the absence of any contract to the contrary, as a revocation of a continuing guarantee, so far as regards future transactions. Thus, in the absence of any contract to the contrary-

(i) the continuing guarantee is revoked from date of the death of the surety

(ii) guarantee is revoked automatically and no notice is required for death.

(iii) transactions held before the death of the surety, transaction remains effective. In such cases legal heirs of surety remains liable.

Sec. 129- एक गारंटी जो लेनदेन की एक श्रृंखला तक फैली हुई है, उसे "सतत गारंटी" कहा जाता है।

उदाहरण: A, एक चाय-व्यापारी B को रुपये की राशि के भुगतान की गारंटी देता है। 100, किसी भी चाय के लिए वह समय-समय पर सी को आपूर्ति कर सकता है। बी रुपये के मूल्य से ऊपर की चाय के साथ सी की आपूर्ति करता है। 100, और C इसके लिए B को भुगतान करता है। बाद में, बी रुपये के मूल्य के लिए चाय के साथ सी की आपूर्ति करता है। 200. सी भुगतान करने में विफल रहता है। ए द्वारा दी गई गारंटी एक सतत गारंटी थी, और वह तदनुसार रुपये की सीमा तक बी के लिए उत्तरदायी है। 100.

निरंतर गारंटी के संबंध में कुछ बिंदु विशेष रूप से हैं-

(i) एकल वचन के निर्वहन या एकल ऋण की चुकौती के बाद जारी गारंटी समाप्त नहीं होती है।

(ii) समय या राशि के संबंध में देयता को ज़मानत द्वारा सीमित किया जा सकता है।

(iii) इस गारंटी के तहत ज़मानत गारंटी के अंत में भुगतान न की गई शेष राशि के लिए उत्तरदायी है।

(iv) ऐसी गारंटी भावी या पूर्वव्यापी हो सकती है

(v) भावी ऋण के लिए भावी गारंटी दी जाती है जबकि मौजूदा ऋण के लिए पूर्वव्यापी गारंटी दी जाती है।

सतत गारंटी का निरसन

जारी गारंटी को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से रद्द किया जा सकता है:

(1) नोटिस द्वारा: [धारा 130]: - प्रदान करता है कि किसी भी समय जारी गारंटी को ज़मानत द्वारा रद्द किया जा सकता है, भविष्य के लेनदेन के रूप में, लेनदार को नोटिस द्वारा। इस प्रकार, यह गारंटी रद्द की जा सकती है-

(i) ज़मानत द्वारा किसी भी समय;

(ii) नोटिस देकर

(iii) ज़मानत द्वारा लेनदार को नोटिस दिया जा सकता है

(iv) केवल भविष्य के लेन-देन के लिए।

उदाहरण: (ए) ए, बी के छूट के विचार में, ए के अनुरोध पर, एक्सचेंज के बिल, सी, बारह महीने के लिए बी को गारंटी देता है, ऐसे सभी बिलों का 5,000 रुपये तक देय भुगतान। B, C के लिए 2,000 रुपये तक के बिलों में छूट देता है। बाद में, तीन महीने के अंत में, ए गारंटी को रद्द कर देता है। यह निरसन किसी भी बाद की छूट के लिए बी को सभी देयताओं से मुक्त करता है, लेकिन सी के डिफॉल्ट पर ए 2,000 रुपये के लिए बी के लिए उत्तरदायी है।

(बी) ए, बी को 10,000 रुपये की सीमा तक गारंटी देता है, कि सी उन सभी बिलों का भुगतान करेगा जो बी उसे आकर्षित करेंगे। B, C को आकर्षित करता है। C बिल को स्वीकार करता है। क निरसन की सूचना देता है। C परिपक्वता पर बिल का अनादरण करता है। ए अपनी गारंटी पर उत्तरदायी है।

2. मृत्यु द्वारा [धारा 131] - धारा 131 के अनुसार जमानतदार की मृत्यु किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में, एक निरंतर गारंटी के निरसन के रूप में संचालित होती है, ताकि भविष्य के लेनदेन के संबंध में। इस प्रकार, इसके विपरीत किसी अनुबंध के अभाव में-

(i) जारी गारंटी जमानत की मृत्यु की तारीख से रद्द कर दी जाती है

(ii) गारंटी स्वतः रद्द हो जाती है और मृत्यु के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है।

(iii) जमानत की मृत्यु से पहले किए गए लेन-देन, लेन-देन प्रभावी रहता है। ऐसे मामलों में जमानत के कानूनी उत्तराधिकारी उत्तरदायी रहते हैं।

6. Distinguish between a sale and an agreement to sell. What are the essential elements of a sale?

8+7=15

बिक्री और बेचने के समझौते के बीच अंतर। बिक्री के आवश्यक तत्व क्या हैं?

Definition of Sale

A sale is a type of contract in which the seller transfers the ownership of goods to the buyer for a money consideration. Here the relationship amidst the seller and buyer is of creditor and debtor. It is the result of an agreement to sell when the conditions are fulfilled and the specified time is over.

Definition of Agreement to Sell

An agreement to sell is also a contract of sale of goods, in which the seller agrees to transfer goods to the buyer for a price at a later date or after the fulfilment of a condition.

When there is willingness of the both the parties to constitute a sale i.e. the buyer agrees to buy, and the seller is ready to sell the goods for monetary value. In an agreement to sell the performance of the contract is done at a future date, i.e. when the time elapses or when the necessary conditions are satisfied. After the contract is executed, it becomes a valid sale. All the necessary conditions required at the time of sale should exist in the case of an agreement to sell too.

Under Indian Sale of Goods Act 1930, section 4 (3) deals with the contract of sale and agreement to sell, where it has been clarified that the agreement to sell also come under sale. However, there is a distinction between these two terms which we discussed below:

BASIS FOR COMPARISON	SALE	AGREEMENT TO SELL
Meaning अर्थ	When in a contract of sale, the exchange of goods for money consideration takes place immediately, it is known as Sale. जब बिक्री के अनुबंध में, धन प्रतिफल के लिए वस्तुओं का आदान-प्रदान तुरंत होता है, तो इसे बिक्री के रूप में जाना जाता है।	When in a contract of sale the parties to contract agree to exchange the goods for a price at a future specified date is known as an Agreement to Sell. जब बिक्री के अनुबंध में अनुबंध करने वाले पक्ष भविष्य की निर्दिष्ट तिथि पर कीमत के लिए माल का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसे बेचने के समझौते के रूप में जाना जाता है।
Nature	Absolute	Conditional
प्रकृति	शुद्ध	सशर्त
Type of Contract	Executed Contract	Executory Contract
अनुबंध के प्रकार	निष्पादित अनुबंध	निष्पादन अनुबंध
Transfer of risk	Yes हां	No नहीं
जोखिम का हस्तांतरण		

BASIS FOR COMPARISON	SALE	AGREEMENT TO SELL
----------------------	------	-------------------

Title	In sale, the title of goods transfers to the buyer with the transfer of goods.	In an agreement to sell, the title of goods remains with the seller as there is no transfer of goods.
-------	--	---

शीर्षक

बिक्री में, माल के हस्तांतरण के साथ माल का शीर्षक खरीदार को स्थानांतरित हो जाता है।

बेचने के समझौते में, माल का शीर्षक विक्रेता के पास रहता है क्योंकि माल का कोई हस्तांतरण नहीं होता है।

Right to sell	Buyer	Seller
बेचने का अधिकार	क्रेता	विक्रेता

Consequences of subsequent loss or damage to the goods	Responsibility of buyer	Responsibility of seller
	खरीदार की जिम्मेदारी	विक्रेता की जिम्मेदारी

माल के बाद के नुकसान या क्षति के परिणाम


Suit for breach of contract by the seller	The buyer can claim damages from the seller and proprietary remedy from the party to whom the goods are sold.	Here the buyer has the right to claim damages only.
विक्रेता द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुकदमा	खरीदार विक्रेता से नुकसान का दावा कर सकता है और	यहां खरीदार को सिर्फ हर्जाना क्लेम करने का अधिकार है।

BASIS FOR COMPARISON	SALE	AGREEMENT TO SELL
----------------------	------	-------------------

जिस पार्टी को सामान बेचा जाता है, उससे मालिकाना उपाय कर सकता है।

Right of unpaid seller	Right to sue for the price.	Right to sue for damages.
अवैतनिक विक्रेता का अधिकार	कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार।	नुकसान के लिए मुकदमा करने का अधिकार।

When there is an actual sale of goods, it is known as **Sale** and it is the transfer of ownership from a seller to the buyer for a determined price.



Types of Sale

The following are the essential conditions regarding Sale:

1. There must be at least two parties; one is the buyer, and other is the seller.
2. The subject matter of the sale is the goods.
3. Payment should be made in the country's legal currency.
4. The goods should pass from seller to buyer.
5. All the necessary conditions of a valid contract should be present like free consent, consideration, a lawful object, capacity of parties, etc.

If the goods are being sold and the property is transferred to the buyer, but the seller is not paid. Then, the seller can go to the court and file a suit against the buyer for the damages and the price too.

On the other hand, if the goods are not delivered to the buyer then he can also sue the seller for damages.

बिक्री की परिभाषा

एक बिक्री एक प्रकार का अनुबंध है जिसमें विक्रेता माल के स्वामित्व को खरीदार को पैसे के विचार के लिए स्थानांतरित करता है। यहाँ विक्रेता और क्रेता के बीच लेनदार और ऋणी का सम्बन्ध होता है। यह बिक्री के एक समझौते का परिणाम है जब शर्तें पूरी होती हैं और निर्दिष्ट समय समाप्त हो जाता है।

बेचने के लिए समझौते की परिभाषा

बेचने का समझौता भी माल की बिक्री का एक अनुबंध है, जिसमें विक्रेता बाद की तारीख में या किसी शर्त की पूर्ति के बाद खरीदार को सामान हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है।

जब दोनों पक्षों की बिक्री गठित करने की इच्छा होती है अर्थात् खरीदार खरीदने के लिए सहमत होता है, और विक्रेता मौद्रिक मूल्य के लिए माल बेचने के लिए तैयार होता है। अनुबंध के प्रदर्शन को बेचने के लिए एक समझौते में भविष्य की तारीख में किया जाता है, यानी जब समय समाप्त हो जाता है या जब आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं। अनुबंध निष्पादित होने के बाद, यह एक वैध बिक्री बन जाती है। बिक्री के लिए एक समझौते के मामले में भी बिक्री के समय आवश्यक सभी आवश्यक शर्तें मौजूद होनी चाहिए।

भारतीय माल बिक्री अधिनियम 1930 के तहत, धारा 4 (3) बिक्री के अनुबंध और बेचने के समझौते से संबंधित है, जहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि बेचने का समझौता भी बिक्री के अंतर्गत आता है। हालाँकि, इन दो शब्दों के बीच एक अंतर है जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है।

जब माल की वास्तविक बिक्री होती है, तो इसे बिक्री के रूप में जाना जाता है और यह एक निर्धारित मूल्य के लिए विक्रेता से खरीदार को स्वामित्व का हस्तांतरण होता है।

बिक्री के संबंध में आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. कम से कम दो पक्ष होने चाहिए; एक खरीदार है, और दूसरा विक्रेता है।
2. बिक्री का विषय वस्तु है।
3. भुगतान देश की कानूनी मुद्रा में किया जाना चाहिए।
4. माल विक्रेता से क्रेता के पास जाना चाहिए।
5. एक वैध अनुबंध की सभी आवश्यक शर्तें मौजूद होनी चाहिए जैसे मुक्त सहमति, विचार, एक वैध वस्तु, पार्टियों की क्षमता आदि।

अगर माल बेचा जा रहा है और संपत्ति खरीदार को हस्तांतरित कर दी गई है, लेकिन विक्रेता को भुगतान नहीं किया गया है। फिर, विक्रेता अदालत में जा सकता है और खरीदार के खिलाफ नुकसान और कीमत के लिए भी मुकदमा दायर कर सकता है। दूसरी ओर, यदि क्रेता को माल की सुपुर्दगी नहीं होती है तो वह विक्रेता पर हर्जाने का मुकदमा भी कर सकता है।

7. What is "Partnership at will"? Discuss the various mode of dissolution of a Partnership Firm.

5+10=15

"इच्छा पर साझेदारी" क्या है? साझेदारी फर्म के विघटन के विभिन्न तरीकों की चर्चा कीजिए।

A form of partnership that arises where the partnership has been entered into for an undefined term. A partnership at will may be dissolved at any time by a partner serving notice on the other partner(s). A partnership will be a partnership at will unless contrary intention can be proved, for this; there must be an express or implied agreement that is inconsistent with the right which a partner would otherwise have to determine the partnership by notice.

In other words, Partnership at will is a form of business partnership arrangement which does not have any predetermined tenure or age. It is upon the discretion of the partners to determine when to cease the existence of the partnership. The life of such a partnership is based upon the will of the partners, hence the name “partnership at will.” Partnership firms are created to conduct a business lawfully for an indefinite period.

Characteristics of Partnership at will:

1. Equal Ownership of Partnership:

The default rule of a partnership firm is that all the partners of the firm share equal ownership of the business. No matter if the partners contribute at different levels to the partnership, either through assets or labour, they are to share equal ownership.

2. Equal Authority in Management Functions:

Each partner of the firm is authorised to participate in the management of the firm. The partner is not just the owner, but an agent of the partnership firm who has the inherent authority to act on behalf of the firm and bind the firm in agreements.

3. Decision-Making Authority:

Partners of partnership firms are allowed to participate in management decisions. Decisions that are general, routine, or operational can be made by a majority of partners. However, major decisions affecting the business have to obtain the unanimous support of all the partners.

4. Unlimited Personal Liability:

Just like a general partnership, all partners of an at-will partnership have unlimited personal liability for the actions of other partners. Also, the partners are personally liable for the obligations and the debts of the partnership firm.

5. Fiduciary Duty:

All partners of a partnership firm share a common fiduciary duty to act in the best interest of the partnership firm. Sometimes this duty is construed as a duty to act in the best interest of the other partners as well. Fiduciary duty is generally meant to avoid a partner's self-dealing, and personal benefit or the exclusion of interests of other partners.

Modes of Dissolution of a Partnership Firm

1. Dissolution by Mutual Consent

The best and the easiest way to Dissolve a partnership firm is by mutual consent. When the contract that specifies the partnership comes to an end or the partners mutually agree, due to various business or personal reasons to end the partnership, they can produce an agreement for dissolving it. All the partners need to agree mutually for dissolving partnerships. Then, it can be through the Dissolution by Mutual Consent clause in the partnership

2. Dissolution by Notice

If the partnership business is at will, anyone (or more) can, through a simple and advanced notice, dissolve a partnership. The notice should specify the date on which the dissolution comes into force. Such dissolution can be initiated by any individual partner after proper notice is issued.

3. Dissolution Due to Contingencies

There are certain clauses/situations wherein the partnership firm can be/is dissolved:

1. On account of the end of a project/endeavour on which the formation of the firm was based.
2. On the death of a partner.
3. By the adjudication of one or more partners as an insolvent.
4. By the expiry of a partnership period. Some firms are started with a clear view of the tenure for which the partnership will exist. Such partnerships will, naturally, come to an end once the period of a partnership is complete.

The contingencies may vary depending upon the clauses specified in the agreement prepared at the time of forming the partnership. So, the agreement should specify the terms on which the dissolution may take place under such circumstances.

4. Compulsory Dissolution

Certain occurrences can make the dissolution of a firm compulsory. For example, by the occurrence of any event judged as illegal and thus, making it difficult for the partnership firm to continue its tenure.

5. Dissolution by Court

A partnership business involves working with various individuals at a time. Even if they are friends and relatives, there are instances where one or more partners may find it not suitable for them under circumstances to continue. In these cases, the court may also dissolve the firm.

Let us look at some of the reasons why or how the partnership firms can be dissolved through court cases. However, that for this to be possible, the partnership deed should be registered.

6. Due to Mental Instability

When a partner becomes mentally unstable/incapacitated.

A business venture cannot proceed in case a partner is unable to deal with the pressures of the job at hand because of mental instability. In such instances, the other partner/partners can file a case/request to dissolve the partnership firm.

Illness or incapacity of a partner due to medical or any other reasons can also result in the dissolution of the partnership through a court case. So, the partner, other than the one incapacitated/mentally unstable, needs to file the request for dissolution of partnership through the court.

7. Due to Misconduct

The other reason for dissolution by the court is misconduct. If any partner/partners in the partnership are misbehaving with others or not heeding to the signed agreement of the partnership, they will find themselves ousted by their partners through a court case.

The agreement (if registered) that the partner's sign is a legally binding one, and any partner who misses out on any particular clause, and even after giving warnings, are not heeding to it, might face the court. The dissolution of the partnership firm may take place through court interference in such instances.

8. Transfer of Equity/Interest

A partner may decide to dissolve the partnership through the court if the other individual in the partnership has transferred their interest/equity of the firm to a third party without consulting them.

साझेदारी का एक रूप जो तब उत्पन्न होता है जब साझेदारी एक अपरिभाषित अवधि के लिए दर्ज की गई हो। किसी पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर (एस) को नोटिस देने पर किसी भी समय साझेदारी को भंग किया जा सकता है। एक साझेदारी तब तक एक साझेदारी होगी जब तक कि इसके लिए विपरीत इरादा साबित नहीं किया जा सकता है; एक स्पष्ट या निहित समझौता होना चाहिए जो उस अधिकार के साथ असंगत हो जिसे एक भागीदार को अन्यथा नोटिस द्वारा साझेदारी निर्धारित करनी होगी।

दूसरे शब्दों में, वसीयत में साझेदारी व्यापार साझेदारी व्यवस्था का एक रूप है जिसमें कोई पूर्व निर्धारित अवधि या आयु नहीं होती है। साझेदारी के अस्तित्व को कब समाप्त करना है, यह निर्धारित करना भागीदारों के विवेक पर है। इस तरह की साझेदारी का जीवन भागीदारों की इच्छा पर आधारित होता है, इसलिए नाम "इच्छा पर साझेदारी" है। पार्टनरशिप फर्मों को अनिश्चित काल के लिए कानूनी रूप से व्यवसाय करने के लिए बनाया जाता है।

वसीयत में साझेदारी के लक्षण:

1. साझेदारी का समान स्वामित्व:

साझेदारी फर्म का डिफॉल्ट नियम यह है कि फर्म के सभी साझेदार व्यवसाय के समान स्वामित्व को साझा करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि साझेदार साझेदारी में विभिन्न स्तरों पर योगदान करते हैं, या तो संपत्ति या श्रम के माध्यम से, उन्हें समान स्वामित्व साझा करना है।

2. प्रबंधन कार्यों में समान अधिकार:

फर्म का प्रत्येक भागीदार फर्म के प्रबंधन में भाग लेने के लिए अधिकृत है। साझेदार सिर्फ मालिक नहीं है, बल्कि साझेदारी फर्म का एक एजेंट है, जिसके पास फर्म की ओर से कार्य करने और फर्म को समझौतों में बाँधने का अंतर्निहित अधिकार है।

3. निर्णय लेने वाला प्राधिकरण:

साझेदारी फर्मों के भागीदारों को प्रबंधन निर्णयों में भाग लेने की अनुमति है। अधिकांश भागीदारों द्वारा सामान्य, नियमित या परिचालन निर्णय किए जा सकते हैं। हालाँकि, व्यवसाय को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णयों को सभी भागीदारों का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त करना होता है।

4. असीमित व्यक्तिगत दायित्व:

एक सामान्य साझेदारी की तरह, एट-विल साझेदारी के सभी भागीदारों के पास अन्य भागीदारों के कार्यों के लिए असीमित व्यक्तिगत देयता होती है। साथ ही, भागीदार व्यक्तिगत रूप से दायित्वों और साझेदारी फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

5. प्रत्ययी कर्तव्य:

साझेदारी फर्म के सभी साझेदार साझेदारी फर्म के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए एक सामान्य प्रत्ययी कर्तव्य साझा करते हैं। कभी-कभी इस कर्तव्य को अन्य भागीदारों के सर्वोत्तम हित में भी कार्य करने के कर्तव्य के रूप में माना जाता है। प्रत्ययी कर्तव्य आम तौर पर एक साथी के आत्म-व्यवहार, और व्यक्तिगत लाभ या अन्य भागीदारों के हितों के बहिष्करण से बचने के लिए होता है।

साझेदारी फर्म के विघटन के तरीके

1. आपसी सहमति से विघटन

साझेदारी फर्म को भंग करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका आपसी सहमति से होता है। जब साझेदारी को निर्दिष्ट करने वाला अनुबंध समाप्त हो जाता है या साझेदार पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं, साझेदारी को समाप्त करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक या व्यक्तिगत कारणों से, वे इसे भंग करने के लिए एक समझौते का उत्पादन कर सकते हैं। साझेदारी को भंग करने के लिए सभी भागीदारों को पारस्परिक रूप से सहमत होने की आवश्यकता है। फिर, यह साझेदारी में आपसी सहमति खंड द्वारा विघटन के माध्यम से हो सकता है

2. नोटिस द्वारा विघटन

यदि साझेदारी व्यवसाय इच्छा पर है, तो कोई भी (या अधिक) एक साधारण और उन्नत नोटिस के माध्यम से साझेदारी को भंग कर सकता है। नोटिस में वह तिथि निर्दिष्ट होनी चाहिए जिस पर विघटन लागू होता है। उचित नोटिस जारी होने के बाद किसी भी व्यक्तिगत भागीदार द्वारा इस तरह के विघटन की शुरुआत की जा सकती है।

3. आकस्मिकताओं के कारण विघटन

कुछ निश्चित खंड/स्थितियाँ हैं जिनमें साझेदारी फर्म को भंग किया जा सकता है/विघटित किया जा सकता है:

1. एक परियोजना/प्रयास के अंत के कारण जिस पर फर्म का गठन आधारित था।

2. साथी की मृत्यु पर।

3. एक या एक से अधिक भागीदारों के दिवालिया होने के फैसले से।

4. साझेदारी अवधि की समाप्ति तक। कुछ फर्मों को कार्यकाल के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ शुरू किया जाता है जिसके लिए साझेदारी मौजूद रहेगी। साझेदारी की अवधि पूरी होने के बाद ऐसी साझेदारी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी। साझेदारी बनाने के समय तैयार किए गए समझौते में निर्दिष्ट खंडों के आधार पर आकस्मिकताएँ भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, समझौते को उन शर्तों को निर्दिष्ट करना चाहिए जिन पर ऐसी परिस्थितियों में विघटन हो सकता है।

4. अनिवार्य विघटन

कुछ घटनाएँ एक फर्म के विघटन को अनिवार्य बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी घटना की घटना को अवैध माना जाता है और इस प्रकार, साझेदारी फर्म के लिए अपना कार्यकाल जारी रखना मुश्किल हो जाता है।

5. न्यायालय द्वारा विघटन

एक साझेदारी व्यवसाय में एक समय में विभिन्न व्यक्तियों के साथ काम करना शामिल होता है। यहां तक कि अगर वे दोस्त और रिश्तेदार हैं, तो ऐसे उदाहरण हैं जहां एक या एक से अधिक भागीदारों को परिस्थितियों में जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं मिल सकता है। ऐसे मामलों में कोर्ट फर्म को भंग भी कर सकता है।

आइए कुछ कारणों पर गौर करें कि अदालती मामलों के माध्यम से साझेदारी फर्मों को क्यों या कैसे भंग किया जा सकता है। हालाँकि, यह संभव होने के लिए, साझेदारी संलेख पंजीकृत होना चाहिए।

6. मानसिक अस्थिरता के कारण

जब एक साथी मानसिक रूप से अस्थिर/अक्षम हो जाता है।

मानसिक अस्थिरता के कारण पार्टनर काम के दबाव से निपटने में असमर्थ होने की स्थिति में एक व्यावसायिक उद्यम आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में, अन्य भागीदार/भागीदार साझेदारी फर्म को भंग करने के लिए मामला/अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।

चिकित्सा या किसी अन्य कारणों से साथी की बीमारी या अक्षमता भी एक अदालती मामले के माध्यम से साझेदारी के विघटन का कारण बन सकती है। इसलिए, अक्षम/मानसिक रूप से अस्थिर साथी के अलावा, भागीदार को अदालत के माध्यम से साझेदारी के विघटन के लिए अनुरोध दर्ज करने की आवश्यकता है।

7. कदाचार के कारण

अदालत द्वारा भंग करने का दूसरा कारण कदाचार है। यदि साझेदारी में कोई भागीदार/भागीदार दूसरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या साझेदारी के हस्ताक्षरित समझौते पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वे अपने भागीदारों द्वारा एक अदालती मामले के माध्यम से खुद को बेदखल पाएंगे।

समझौता (यदि पंजीकृत है) कि भागीदार का हस्ताक्षर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, और कोई भी साथी जो किसी विशेष खंड पर चूक जाता है, और चेतावनी देने के बाद भी, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वह अदालत का सामना कर सकता है। ऐसे मामलों में अदालती हस्तक्षेप के माध्यम से साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है।

8. इक्विटी/ब्याज का हस्तांतरण

एक भागीदार अदालत के माध्यम से साझेदारी को भंग करने का निर्णय ले सकता है यदि साझेदारी में अन्य व्यक्ति ने फर्म के अपने हित/इक्विटी को तीसरे पक्ष से परामर्श किए बिना स्थानांतरित कर दिया है।

8. What do you understand by Doctrine of Caveat Emptor? Explain the exceptions to the Principle.

8+7=15

कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ? सिद्धांत के अपवादों की व्याख्या कीजिए

The doctrine of Caveat Emptor is an integral part of the Sale of Goods Act. It translates to “let the buyer beware”. This means it lays the responsibility of their choice on the buyer themselves.

It is specifically defined in Section 16 of the act “*there is no implied warranty or condition as to the quality or the fitness for any particular purpose of goods supplied under such a contract of sale”*

A seller makes his goods available in the open market. The buyer previews all his options and then accordingly makes his choice. Now let's assume that the product turns out to be defective or of inferior quality.

This doctrine says that the seller will not be responsible for this. The buyer himself is responsible for the choice he made.

So the doctrine attempts to make the buyer more conscious of his choices. It is the duty of the buyer to check the quality and the usefulness of the product he is purchasing. If the product turns out to be defective or does not live up to its potential the seller will not be responsible for this.

Let us see an example. A bought a horse from B. A wanted to enter the horse in a race. Turns out the horse was not capable of running a race on account of being lame. But A did not inform B of his intentions. So B will not be responsible for the defects of the horse. The Doctrine of Caveat Emptor will apply.

However, the buyer can shift the responsibility to the seller if the three following conditions are fulfilled.

- if the buyer shares with the seller his purpose for the purchase
- the buyer relies on the knowledge and/or technical expertise of the seller
- and the seller sells such goods

Exceptions to the Doctrine of Caveat Emptor

The doctrine of caveat emptor has certain specific exceptions. Let us take a brief look at these exceptions.

1] Fitness of Product for the Buyer's Purpose

When the buyer informs the seller of his purpose of buying the goods, it is implied that he is relying on the seller's judgment. It is the duty of the seller then to ensure the goods match their desired usage.

Say for example A goes to B to buy a bicycle. He informs B he wants to use the cycle for mountain trekking. If B sells him an ordinary bicycle that is incapable of fulfilling A's purpose the seller will be responsible. Another example is the case study of Priest v. Last.

2] Goods Purchased under Brand Name

When the buyer buys a product under a trade name or a branded product the seller cannot be held responsible for the usefulness or quality of the product. So there is no implied condition that the goods will be fit for the purpose the buyer intended.

3] Goods sold by Description

When the buyer buys the goods based only on the description there will be an exception. If the goods do not match the description then in such a case the seller will be responsible for the goods.

4] Goods of Merchantable Quality

Section 16 (2) deals with the exception of merchantable quality. The sections state that the seller who is selling goods by description has a duty of providing goods of merchantable quality, i.e. capable of passing the market standards.

So if the goods are not of marketable quality then the buyer will not be the one who is responsible. It will be the seller's responsibility. However if the buyer has had a reasonable chance to examine the product, then this exception will not apply.

5] Sale by Sample

If the buyer buys his goods after examining a sample then the rule of Doctrine of Caveat Emptor will not apply. If the rest of the goods do not resemble the sample, the buyer cannot be held responsible. In this case, the seller will be the one responsible.

For example, A places an order for 50 toy cars with B. He checks one sample where the car is red. The rest of the cars turn out orange. Here the doctrine will not apply and B will be responsible.

6] Sale by Description and Sample

If the sale is done via a sample as well as a description of the product, the buyer will not be responsible if the goods do not resemble the sample and/or the description. Then the responsibility will fall squarely on the seller.

7] Usage of Trade

There is an implied condition or warranty about the quality or the fitness of goods/products. But if a seller deviated from this then the rules of caveat emptor cease to apply. For example, A bought goods from B in an auction of the contents of a ship. But B did not inform A the contents were sea damaged, and so the rules of the doctrine will not apply here.

8] Fraud or Misrepresentation by the Seller

This is another important exception. If the seller obtains the consent of the buyer by fraud then caveat emptor will not apply. Also if the seller conceals any material defects of the goods which are later discovered on closer examination then again the buyer will not be responsible. In both cases, the seller will be the guilty party.

कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत माल बिक्री अधिनियम का एक अभिन्न अंग है। इसका अनुवाद "खरीदार को सावधान रहने दें" के रूप में किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह उनकी पसंद की जिम्मेदारी खुद खरीदार पर डालता है। यह विशेष रूप से अधिनियम की धारा 16 में परिभाषित किया गया है "बिक्री के इस तरह के अनुबंध के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं के किसी विशेष उद्देश्य के लिए गुणवत्ता या फिटनेस के रूप में कोई निहित वारंटी या शर्त नहीं है" एक विक्रेता अपना माल खुले बाजार में उपलब्ध कराता है। खरीदार अपने सभी विकल्पों का पूर्वावलोकन करता है और फिर उसी के अनुसार अपनी पसंद बनाता है। अब मान लेते हैं कि उत्पाद खराब या घटिया गुणवत्ता का निकला है। यह सिद्धांत कहता है कि विक्रेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। खरीदार खुद अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार है। इसलिए सिद्धांत खरीदार को उसकी पसंद के प्रति अधिक जागरूक बनाने का प्रयास करता है। यह खरीदार का कर्तव्य है कि वह जो उत्पाद खरीद रहा है उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता की जांच करे। यदि उत्पाद दोषपूर्ण हो जाता है या अपनी क्षमता तक नहीं रहता है तो विक्रेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

आइए एक उदाहरण देखें। A ने B से एक घोड़ा खरीदा। A एक दौड़ में घोड़े में प्रवेश करना चाहता था। पता चला कि घोड़ा लंगड़ा होने के कारण दौड़ लगाने में सक्षम नहीं था। लेकिन ए ने बी को अपने इरादे के बारे में नहीं बताया। अतः ख घोड़े के दोष के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत लागू होगा।

हालांकि, खरीदार विक्रेता को जिम्मेदारी स्थानांतरित कर सकता है यदि निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी होती हैं।

- यदि खरीदार विक्रेता के साथ खरीद के अपने उद्देश्य को साझा करता है
- खरीदार विक्रेता के ज्ञान और/या तकनीकी विशेषज्ञता पर निर्भर करता है
- और विक्रेता ऐसा माल बेचता है

कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत के अपवाद

कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत में कुछ विशिष्ट अपवाद हैं। आइए इन अपवादों पर एक संक्षिप्त नज़र डालें।

1] क्रेता के उद्देश्य के लिए उत्पाद की उपयुक्तता

जब खरीदार विक्रेता को सामान खरीदने के अपने उद्देश्य के बारे में सूचित करता है, तो यह निहित होता है कि वह विक्रेता के फैसले पर भरोसा कर रहा है। यह विक्रेता का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सामान उनके वांछित उपयोग से मेल खाता हो।

उदाहरण के लिए मान लीजिए A साइकिल खरीदने B के पास जाता है। वह बी को सूचित करता है कि वह माउंटेन ट्रेकिंग के लिए साइकिल का उपयोग करना चाहता है। यदि B उसे एक साधारण साइकिल बेचता है जो A के उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ है तो विक्रेता जिम्मेदार होगा। एक अन्य उदाहरण प्रीस्ट बनाम लास्ट का केस स्टडी है।

2] ब्रांड नाम के तहत खरीदे गए सामान

जब खरीदार किसी उत्पाद को व्यापार नाम या ब्रांडेड उत्पाद के तहत खरीदता है तो विक्रेता को उत्पाद की उपयोगिता या गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए ऐसी कोई निहित शर्त नहीं है कि सामान उस उद्देश्य के लिए फिट होगा जो खरीदार चाहता है।

3] विवरण द्वारा बेचा गया माल

जब खरीदार केवल विवरण के आधार पर सामान खरीदता है तो अपवाद होगा। यदि माल विवरण से मेल नहीं खाता है तो ऐसे मामले में विक्रेता माल के लिए जिम्मेदार होगा।

4] व्यापारिक गुणवत्ता का सामान

धारा 16 (2) व्यापारिक गुणवत्ता के अपवाद से संबंधित है। अनुभागों में कहा गया है कि विक्रेता जो विवरण द्वारा माल बेच रहा है, उसका कर्तव्य है कि वह व्यापारिक गुणवत्ता का सामान प्रदान करे, अर्थात् बाजार के मानकों को पार करने में सक्षम हो।

इसलिए यदि माल विपणन योग्य गुणवत्ता का नहीं है तो खरीदार वह नहीं होगा जो जिम्मेदार होगा। यह विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। हालांकि अगर खरीदार के पास उत्पाद की जांच करने का उचित मौका है, तो यह अपवाद लागू नहीं होगा।

5] नमूना द्वारा बिक्री

अगर खरीदार सैंपल की जांच के बाद अपना सामान खरीदता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर का नियम लागू नहीं होगा। यदि शेष माल नमूने से मेल नहीं खाता है, तो खरीदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे में जिम्मेदार विक्रेता ही होगा।

उदाहरण के लिए, A, B के साथ 50 खिलौना कारों का ऑर्डर देता है। वह एक नमूने की जाँच करता है जहाँ कार लाल है। बाकी कारें नारंगी निकलती हैं। यहाँ सिद्धांत लागू नहीं होगा और बी जिम्मेदार होगा।

6] विवरण और नमूना द्वारा बिक्री

यदि बिक्री एक नमूने के साथ-साथ उत्पाद के विवरण के माध्यम से की जाती है, तो खरीदार जिम्मेदार नहीं होगा यदि माल नमूना और/या विवरण के समान नहीं होता है। तब जिम्मेदारी विक्रेता पर पूरी तरह से गिर जाएगी।

7] व्यापार का उपयोग

माल/उत्पादों की गुणवत्ता या उपयुक्तता के बारे में एक निहित शर्त या वारंटी है। लेकिन अगर कोई विक्रेता इससे विचलित होता है तो कैविएट एम्प्टर के नियम लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, A ने जहाज की सामग्री की नीलामी में B से सामान खरीदा। लेकिन बी ने ए को सूचित नहीं किया कि सामग्री समुद्री क्षतिग्रस्त थी, और इसलिए सिद्धांत के नियम यहाँ लागू नहीं होंगे।

8] विक्रेता द्वारा धोखाधड़ी या गलतबयानी

यह एक और महत्वपूर्ण अपवाद है। यदि विक्रेता धोखे से क्रेता की सहमति प्राप्त करता है तो कैविएट एम्प्टर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, यदि विक्रेता माल में किसी भी भौतिक दोष को छुपाता है, जो बाद में बारीकी से जांच करने पर पता चलता है, तो फिर से खरीदार जिम्मेदार नहीं होगा। दोनों ही मामलों में, विक्रेता दोषी पक्ष होगा।

9. Explain rights and duties of bailor and bailee under contract of Bailment.

7+8=15

निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपक और निक्षेपिती के अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए

Ans. Bailment refers to the voluntary delivery of goods. Also, such delivery is for a temporary purpose and after the fulfilment of which the bailee shall either return the goods in the same or altered form or dispose of them.

In the contract of bailment, the ownership of the goods remains with the Bailor and only the possession transfers to the bailee. Such delivery of goods may be actual or constructive.

For example, when A hands over the keys of a godown to B, it amounts to the delivery of goods in the godown. Also, A is the bailor and B is the bailee.

Following are the rights of the bailor: –

1. **Right to Claim Compensation Against the Unauthorized Use of Goods:** – If any of the third person, does some injury to the goods bailed or deprive (stop) the bailee to use bailed goods, in such a case bailor has right to file the suit against the wrong-doer and to get compensation from him.
2. **Right to Claim Compensation:** – In the case of bailment, bailor has the right to claim the compensation if any damage is done to the goods bailed due the bailee's negligence or misconduct.
3. **Right to Demand the Return of the Goods:** – The bailor has the right to get his goods back in a safe and good condition after the expiry of the bailment time period or the achievement of the purpose for which the goods were bailed.
4. **Right to Enforce Bailee's Performance:** – The bailor deliver his goods to the bailee for some specific purpose and in the case of the non-gratuitous bailment, the bailor has the right to achieve that purpose or to get benefits through the same.

Following are the rights of the bailee: –

1. **Right to Compensation:** – Bailee has the right to claim compensation from the bailor in respect to any damages done to him by the act of the bailor.
2. **Right to Expenses or Remuneration:** – Bailor is bound to repay all the expenses which were incurred by him for the work done on the goods received in the bailment.
3. **Right of Lien:** – If the bailee charges are not paid by the bailor, he has the right to retain the goods. So, the right to retain the property on which the charges are due is called right to lien. The Supreme Court cited the following passage from HALSBURY'S LAWS OF ENGLAND as to the nature of this right.

Duties of a Bailee

1. Take proper care of goods

According to section 151, it is the duty of a bailee to take care of goods bailed to him. Bailee should take care of these goods as an ordinary man will take care of his goods of the same value, quality, and quantity.

Thus, if the bailee takes due care of goods then he will not be liable for any loss, deterioration of such goods. Also, the bailee needs to take the same degree of care of goods whether the bailment is for reward or gratuitous.

However, the bailee is not liable for any loss due to the happening of any act by God or public enemies though he agrees to take special care of the goods.

2. Not to make unauthorized use

As per section 153, the Bailee shall not make any unauthorized use of goods bailed. In case he makes any unauthorized use, then bailor can terminate the bailment.

Bailor can also claim for damages caused to goods bailed due to unauthorized use as per Section 154.

3. Keep goods separate

The bailee needs to keep the goods separately from his own goods. He should not mix the goods under bailment with his own goods. In case bailee mixes the goods with his own goods without the consent of the bailor, then:

- i. Bailor also has an interest in the mixture.
- ii. If the goods can be separated or divided, the property in the goods remains with both the parties. But, the bailee bears the expenses of separation or any damages arising from the mixture.
- iii. If it is not possible to separate the goods, the bailee shall compensate the bailor for the loss of goods.

4. Not set adverse title

A bailee must not set an adverse title to the goods bailed.

5. Return Goods

The duty of the bailee is to return the goods without demand on the accomplishment of the purpose or the expiration of the time period. In case of his failure to do so, he shall be liable for the loss, destruction, deterioration, damages or destruction of goods even without negligence.

6. Return increase or profits

A bailee shall return the goods along with any increase or profit accruing to the goods to the bailor, in the absence of any contract to the contrary.

For example, A leaves a hen in the custody of B. The hen gets a chick. B shall deliver the hen along with the chick to A.

Duties of a bailor

1. It is the duty of a bailor to disclose all faults. If bailor fails to disclose such faults then he will be responsible for the damage caused to goods or loss suffered by the bailee.
2. Also, the bailor is under the duty to pay the extraordinary expenses incurred by the bailee for such bailment.
3. It is the duty of the bailor to accept the goods after the purpose for which such goods were bailed is accomplished.
4. It is the duty of the bailor to indemnify the bailee for the cost incurred due to the defective title of goods bailed to the bailee.